संख्या-383/2021/41-2021/1841/2021/24(बजट)/2017

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 05 अगस्त, 2021**

विषय:-जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं झील मनोरंजन की परियोजना हेतु पंचम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-992/6-1-1(851)/2017-18 दिनांक 29 जून, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. **जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं झील मनोरंजन की परियोजना हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-95/2018/1251/41-2018-24(बजट)/2017 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा धनराशि रू0 40.12 करोड़ (रूपये चालीस करोड़ बारह लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 25.00 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तदनन्तर शासनादेश संख्या-99/2020/795/41-2020-24(बजट)/2017 दिनांक 06 मार्च, 2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप रू0-**7.00** करोड (रूपये सात करोड मात्र) ,शासनादेश संख्या-227/2020/2684/41-2020-24(बजट)/2017 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा तृतीय किश्त के रूप रू0-**5.00** करोड (रूपये पांच करोड मात्र) एवं शासनादेश संख्या-281/2020/911/41-2021-24(बजट)/2017 दिनांक 24 मार्च, 2021 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप रू0-3.12 करोड अवमुक्त किये गये हैं। इस प्रकार परियोजना की मूल स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, परन्तु परियोजना के अन्तर्गत कतिपय अन्य कार्यों को कराये जाने के दृष्टिगत महानिदेशक पर्यटन के पत्र दिनांक 25 फरवरी 2021 द्वारा इस प्रायोजना हेतु क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर /आजमगढ के पत्र दि0-5-2-21 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन (वर्क डन और वर्क टू बी डन के आधार पर गठित) रू0- 4518.35 लाख के आधार पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया । व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 22-3-21 में उक्त पुनरीक्षित आगणन रू0-4518.35 लाख का परीक्षण/मूल्यांकन कराने के उपरान्त पुनरीक्षित लागत रू0-4475.39 लाख संस्तुत की गई । उक्त संस्तुति के क्रम में प्रायोजना की मूल प्रशासकीय स्वीकृति रू0-40.12 करोड के स्थान पर प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0-4475.39 लाख (रूपये चौवालीस करोड पचहत्तर लाख उनतालीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश सं0-377/2021/आई/84263/41-1002/547/2019/24(बजट)/2017 दिनांक 30 जुलाई 2021 द्वारा निर्गत की गई है। तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के उल्लिखित पत्र सं0-992/6-1-1(851)/2017-18 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा अवमुक्त की गई अंतिम किश्त रू0 3.12 करोड के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स सहित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्य अभिलेख भी उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है परन्तु जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गई धनराशि के संबंध में तिथिवार विवरण एवं जी0एस0टी0 इन्वायस की प्रति नहीं उपलब्ध करायी गई है।

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है शासनादेश सं0-377/2021/आई/84263/41-1002/547/2019/24(बजट)/2017 दिनांक 30 जुलाई 2021 द्वारा प्रदान की गई पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त शासनादेश की शर्तों के अधीन प्रायोजना के अवशेष कार्यों को कराये जाने हेतु पंचम किश्त के रूप में **रू0- 78.10 लाख (रू0-अठहत्तर लाख दस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-95/2018/1251/41-2018-24(बजट)/2017 दिनांक 30 मार्च, 2018, शासनादेश संख्या-99/2020/795/41-2020-24(बजट)/2017 दिनांक 06 मार्च, 2020 , शासनादेश संख्या-227/2020/2684/41-2020-24(बजट)/2017 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 , शासनादेश संख्या-281/2020/911/41-2021-24(बजट)/2017 दिनांक 24 मार्च, 2021 एवं शासनादेश सं0-377/2021/आई/84263/41-1002/547/2019/24(बजट)/2017 दिनांक 30 जुलाई 2021 अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में ***तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र -जी0एस0टी0 इन्वायस*** सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**V II**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-34-गोरखपुर स्थित रामगढताल में वाटर स्पोर्ट्स का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- श्री दिनेश कुमार उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया उपरोक्त क्रमांक-3,4,6,7,8,10 एवं 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
7- प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम।
8. परियोजना प्रबंधक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम गोरखपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।